Through E-mail

From:-

Nalin Kant Tyagi, H.J.S.,
Joint Registrar (Judicial)(Inspection)
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District Judges,
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

No.:- 1005 /Main A/Admin (D) Section/Allahabad; Dated:- 18th January, 2018.

Subject:- In the matter related to study of manpower (Class-III/IV) in subordinate Courts.

Sir,

I am directed to inform you that after careful consideration of the aforementioned subject, Hon'ble Court has been pleased to direct to send the relevant portion of the report of Justice K.L. Sharma Committee, and to request you to work out the requirement of manpower in your respective districts and provide a report in two weeks.

Therefore, you are requested to furnish the desired report within stipulated time.

Yours Faithfully,

Enclosure:- As above.

Joint Registrar (J)(I)
16-1-2018

Scanned by CamScanner

Report

Special Committee for Standard Fixation, Uttar Pradesh 1989

(Justice K.L. Sharma Committee)

For Grade 'C' and 'D' in the District Courts

Scanned by CamScanner

मानक निर्धारण विशेष समिति उत्तर प्रदेश

प्रतिवेदन
1989

न्याय प्रशासन :

1- जिला न्यायालय
2- अधीनस्थ दीवानी न्यायालय
3- अधीनस्थ फौजदारी न्यायालय
4- न्यायालयों से सम्बद्ध कार्यालय
5- जिला न्यायालयों के केन्द्रीय अनुभाग

विषयक

Scanned by CamScanner

मानक निर्धारण विशेष समिति
उत्तर प्रदेश

अध्यक्ष

श्री के० एल० शर्मा
न्याय सचिव एवं विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

सदस्य

श्री राम निवास
संयुक्त सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

श्री श्याम कृष्ण
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

संयोजक

श्री नाराण दास
अनुभाग अधिकारी
न्याय(अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned by CamScanner

के०एल० शर्मा
न्याय सचिव एवं अध्यक्ष मानक
निर्धारण विशेष समिति

अर्द्ध शा०प०सं०-5461/सात-अ०न्या०/
89-711/85
न्याय/अधीनस्थ न्यायालय/अनुभाग
लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 1989.

माननीय मुख्य मंत्री जी,

प्रदेश के अधीनस्थ दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद मानक निर्धारण के लिए शासनादेश संख्या-5897/सात-अ०न्या०-711/85, दिनांक 26-9-87 में एक विशेष समिति इस उद्देश्य से गठित की गई थी कि नये तथा अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु पदों का मानक निर्धारित किया जा सके और सभी अधीनस्थ न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर अपेक्षित पदों की संख्या पूरी की जा सके और स्टाफ में एकरूपता बनायी रखी जा सके ताकि वादों के निस्तारण में गति लायी जा सके और विभिन्न प्रक्रियाओं के अपनाने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

इसलिए समिति द्वारा जिला न्यायालयों, अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों, अधीनस्थ फौजदारी न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों और जिला जजी के केन्द्रीय अनुभागों के सम्बन्ध में कार्यभार का अध्ययन किया जाना अपेक्षित था। इस उद्देश्य से विभिन्न जिलों के न्यायालयों की संख्या के आधार पर समिति द्वारा 11 जिला न्यायालयों तथा एक बाह्य स्थित न्यायालय का अध्ययन के लिए चयन किया गया, समस्त जिलों से विवरण प्राप्त किए गए तथा समिति द्वारा इन स्थानों पर जाकर जिला जजों, अन्य न्यायिक अधिकारियों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों और उनसे सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तार में विचार-विमर्श किया गया।

विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानक निर्धारण का कार्य अत्यन्त कठिन एवं दुरूह प्रकृति का था। समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने इस कार्य को अपने-अपने पदों के सामान्य कार्यों को करते हुए इस अतिरिक्त कार्य को किया किन्तु समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से तथा समिति द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से यह कार्य अब पूर्ण हो गया है और समिति की रिपोर्ट शासन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

हमें विश्वास है कि समिति की संस्तुतियों से न्यायालयों से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्यक् राहत और संतोष मिलेगा और वे अपने कार्य को अधिक कुशलता एवं दक्षतापूर्वक सम्पन्न कर पायेंगे तथा वादों के निस्तारण में भी गति आ सकेगी। यदि समिति द्वारा किए गए प्रयासों में किंचित मात्र भी सफलता प्राप्त हुई और उद्देश्य की पूर्ति हुई तो समिति को अत्यन्त आत्मसंतोष होगा ।

सादर

भवदीय,

। के० एल० शर्मा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी
मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

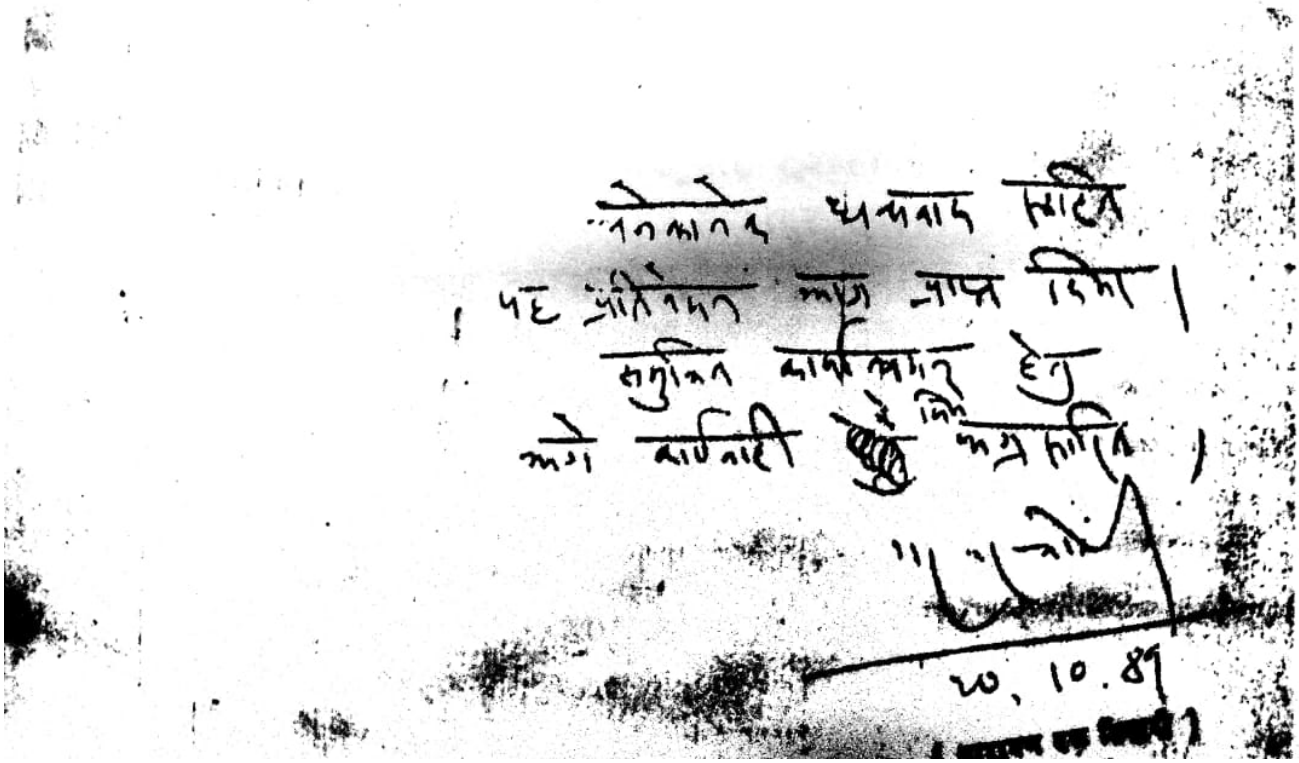

Scanned by CamScanner

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1 -	प्रस्तावना	1
2 -	कार्य प्रक्रिया	3
3 -	वर्तमान संगठनात्मक ढांचा	6
4 -	पूर्व अध्ययन	21
5 -	कार्यभार, कार्य-प्रक्रिया आदि का विश्लेषण	25
6 -	विभिन्न पदों के लिए संस्तुत मानक	101
7 -	अन्य सुझाव	129
8 -	संस्तुतियों का सारांश	133
9 -	आभार प्रदर्शन	143
10 -	मानक एक दृष्टि में	145

परिशिष्ट

1 - विशेष समिति के गठन से संबंधित शासनादेश ।
2 - जनपदीय न्यायालयों एवं कार्यालयों से स्टाफ विषयक विवरण-पत्र का प्रारूप ।
3 - जनपदीय न्यायालयों में लम्बित वादों के प्रेषण हेतु प्रारूप ।
4 - जनपद न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा प्रेषित विवरण ।
5 - जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा प्रेषित विवरण ।
6 - जनपद न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा प्रेषित विवरण ।
7 - जनपद न्यायाधीश, मेरठ द्वारा प्रेषित विवरण ।
8 - जनपद न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा प्रेषित विवरण ।
9 - जनपद न्यायाधीश, देहरादून द्वारा प्रेषित विवरण ।
10 - जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित विवरण ।
11 - जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा प्रेषित विवरण ।
12 - जनपद न्यायाधीश, एमोनी द्वारा प्रेषित विवरण ।
13 - जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित विवरण ।
14 - जनपद न्यायाधीश, बांदा द्वारा प्रेषित विवरण ।
15 - मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का परिपत्र सं० 41/701-10/एडमिन. डी, दि० 29 मई, 1986 ।
16 - मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का परिपत्र सं० 27/कट, दि० 15 फरवरी, 1977 ।

Scanned by CamScanner

अध्याय - 1

प्रस्तावना

समय समय पर प्रदेश के अधीनस्थ दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं और नये न्यायालयों के सृजन तथा जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित किए जाने वाले न्यायालयों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । न्यायालयों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यभार बढ़ जाने पर भी अतिरिक्त पदों की मांग की जाती रही है । अतः तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्यभार के अनुसार एक मानक निर्धारित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई ताकि उसी मानक के अनुसार नये तथा अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सके और सभी अधीनस्थ न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सके और स्टाफ की एकरूपता बनाए रखी जा सके ताकि वादों के निस्तारण में गति लाई जा सके और विभिन्न प्रक्रियाओं के अपनाने में अनावश्यक विलम्ब न हो ।

1.2 उक्त उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा शासनादेश संख्या: 5897/सात-अ0न्या0-711/85, दिनांक 26/9/1987 (परिशिष्ट-1) द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की विशेष समिति गठित की गई -

1- श्री के0एल0 शर्मा, - अध्यक्ष
न्याय सचिव एवं विधि परामर्शी,
न्याय विभाग
(तत्कालीन विशेष सचिव न्याय)

2- श्री श्याम कृष्ण, - सदस्य
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

3- श्री राम निवास, - सदस्य
संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
(तत्कालीन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग)

श्री नारायण दास, अनुभाग अधिकारी, न्याय विभाग को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया ।

1.3 समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित निर्धारित किया गया :-

यह समिति प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे- लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी तथा अन्य जिलों में कार्यरत अधीनस्थ न्यायालय एवं उनसे सम्बद्ध कार्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार का अध्ययन करेगी और विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए उपयुक्त मानक की संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

1.4 उक्त समिति का मुख्यालय लखनऊ रखा गया और समिति को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि अध्ययन एवं विचार-विमर्श के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार जिलों में भी जाकर बैठकें कर सकेगी ।

Scanned by CamScanner

अध्याय - 10

मानक एक दृष्टि में

(क) नये दायरा न्यायालय

10.1 जिला एवं सत्र न्यायालय

न्यायालय		सम्बद्ध कार्यालय		
पदनाम	पद संख्या	पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
1-चीफ रीडर	एक	1-सदर मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			20 अथवा अधिक न्यायालय पर एक आशुलिपिक का पद वैयक्तिक सहायक पदनाम से अतिरिक्त दिया जाय।
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-सत्र लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास
		3-प्रकीर्ण लिपिक	एक	दीवानी पत्रावलियां 500
		4-अपील लिपिक	एक	अथवा फौजदारी पत्रावलियां
		5-हजराय लिपिक	एक	1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 अथवा सत्र पत्रावलियां 200 हो जाय तो उसके सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		6-प्रतिलिपिक	एक	
		7-दफ्तरी	एक	

10.2 सिविल जज न्यायालय

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास
		3-हजराय लिपिक	एक	दीवानी पत्रावलियां 500
		4-विविध लिपिक	एक	अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 अथवा सत्र पत्रावलियां 200 हो जाय तो उसके सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		5-प्रतिलिपिक	एक	
		6-दफ्तरी	एक	

Scanned by CamScanner

10.3 मुंसिफ न्यायालय

न्यायालय		सम्बद्ध कार्यालय		
पदनाम	पद संख्या	पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास
		3-इजराय लिपिक	एक	दीवानी पत्रावलियां 500
		4-विविध लिपिक	एक	अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 अथवा सत्र पत्रावलियां 200 हो जाँय तो उसके सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		5-प्रतिलिपिक	एक	
		6-दफ्तरी	एक	

10.4 लघुवाद न्यायालय

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास
		3-इजराय लिपिक	एक	दीवानी पत्रावलियां 500
		4-प्रकीर्ण एवं दिवालिया लिपिक	एक	अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 अथवा सत्र पत्रावलियां 200 हो जाय तो
		5-अपील एवं सत्र लिपिक	एक	उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		6-प्रतिलिपिक	एक	
		7-दफ्तरी	एक	

10.5 मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-अहलमद (मूल अपराध)	एक	जब किसी अहलमद के पास फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा दीवानी पत्रावलियां 500 हो जाय तो उसके सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		3-अहलमद (लघु अपराध)	एक	
		4-प्रशांसकीय लिपिक	एक	
		5-जमानत लिपिक	एक	

Scanned by CamScanner

न्यायालय		सम्बद्ध कार्यालय		
नाम	पद संख्या	पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
				वलियाँ 1000 अथवा सत्र पत्रावलियाँ 200 हो जाय तो उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		5-प्रतिलिपिक	एक	
10.9	वाद्य स्थित मुंसिफ न्यायालय			
1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास दीवानी पत्रावलियाँ 500 अथवा फौजदारी पत्रावलियाँ 1000 अथवा विविध पत्रावलियाँ 1000 अथवा सत्र पत्रावलियाँ 200 हो जाँय तो उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		3-इजराय लिपिक	एक	
		4-विविध लिपिक	एक	
		5-प्रतिलिपिक	एक	
10.10	न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुंसिफ मजिस्ट्रेट/अपर मुंसिफ/जविनायल मजिस्ट्रेट न्यायालय			
1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वादलिपिक/ अहलमद (मूल अपराध)	एक	जब किसी अहलमद के पास फौजदारी पत्रावलियाँ 1000 अथवा दीवानी पत्रावलियाँ 500 हो जाँय तो उसके सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		3-इजराय-कम-विविध लिपिक/ अहलमद (मूल अपराध)	एक	
		4-प्रतिलिपिक	एक	

Scanned by CamScanner

(ख) जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय अनुभाग

10.11 प्रशासकीय अनुभाग

पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
1-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ समूह "ग" के पदों की संख्या 50 या अधिक हो
2-प्रशासनिक लिपिक	एक	10 न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक 10 न्यायालयों की अतिरिक्त वृद्धि पर एक सहायक प्रशासनिक लिपिक दिया जायेगा
3-सांख्य लिपिक	एक	केवल उन स्थानों पर सांख्य लिपिक दिया जाय जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 तथा 40 के मध्य हो और 40 अथवा अधिक संख्या पर एक वरिष्ठ लिपिक भी अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
4-टंकक	एक	
5-चपरासी	एक	यदि न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक हो जाय तो एक अतिरिक्त चपरासी का पद भी दिया जाय।
6-दफ्तरी	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 40 से अधिक हो ।

10.12 लेखा अनुभाग

1-कैशियर	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 से कम हो वहाँ
2-बिल क्लर्क	एक	कैशियर-कम-बिल क्लर्क का केवल एक पद दिया जाय।
3-सहायक लेखा लिपिक	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 20 से अधिक और 40 से कम हो वहाँ पर केवल एक सहायक लेखा लिपिक का पद अतिरिक्त दिया जाय, जहाँ न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक हो जाय वहाँ प्रत्येक 20 न्यायालयों की वृद्धि पर एक लेखा लिपिक अतिरिक्त रूप से दिया जायेगा
4-टंकक	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो।
5-चपरासी	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक हो वहाँ एक अतिरिक्त चपरासी का पद दिया जाय।

10.13 नजारत अनुभाग

1-सेन्ट्रल नाजिर	एक	
2-उप नाजिर	एक	प्रत्येक 20 न्यायालयों की वृद्धि पर एक उप नाजिर अतिरिक्त रूप से दिया जाये।

Scanned by CamScanner

पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
3-सहायक नाजिर	एक	प्रत्येक 8 न्यायालयों की संख्या पर एक सहायक नाजिर अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
4-सहायक नाजिर (वी0आई0पी0)	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ विशिष्ट व्यक्तियों की वर्ष में 40 या अधिक विजिट होती है वहाँ एक सहायक नाजिर तथा दो चपरासी के पद अतिरिक्त रूप से दिए जाय।
5-चपरासी (वी0आई0पी0)	दो	
6-प्रोसेस सरवर	दो	नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित 1000 अथवा ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित 750 प्रोसेस/नोटिस आदि प्रतिवर्ष की संख्या पर एक प्रोसेस सरवर का पद दिया जाय परन्तु नये न्यायालयों के साथ कम से कम दो प्रोसेस सरवर के पद दिए जाय।
7-इलेक्ट्रीशियन-कम-ट्यूबवेल आपरेटर	एक	जहाँ ट्यूबवेल निर्मित हैं अथवा निर्मित कराए जाँय।
8-चौकीदार	दो	प्रत्येक न्यायालय परिसर हेतु अथवा प्रत्येक बहुखण्डीय न्यायालय भवन हेतु।
9-माली	एक	आधा एकड़ भूमि भवन सहित से ऊपर प्रत्येक आधा एकड़ भूमि भवन सहित हेतु अतिरिक्त माली का पद दिया जाय।
10-स्वीपर	एक	नियमित पूर्णकालिक स्वीपर के स्थान पर 4 अंशकालिक स्वीपर, निर्धारित अवधि एवं निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाँय और उनका पारिश्रमिक कार्यालय मद से भुगतान किया जाय।
11-कार्यालय चपरासी	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक हो जाय वहाँ एक अतिरिक्त चपरासी का पद भी दिया जाय।
12-दफ्तरी	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 40 से अधिक हो ।

10.14 <u>अभिलेखागार (दीवानी)</u>

1-अभिलेखपाल	एक	
2-उप अभिलेखपाल	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ न्यायालयों की संख्या 20 या अधिक हो, परन्तु 20 न्यायालयों की प्रत्येक वृद्धि पर एक उप अभिलेखपाल का पद अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
3-सहायक अभिलेखपाल	एक	प्रत्येक 8 दीवानी न्यायालयों की संख्या पर एक अतिरिक्त पद सहायक अभिलेखपाल का दिया जाय।
4-बण्डल लिफ्टर एवं दफ्तरी	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो वहाँ बण्डल लिफ्टर एवं दफ्तरी का एक पद दिया जाय।

पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
5-चपरासी	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो वहाँ एक चपरासी का पद दिया जाय और जहाँ न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक हो जाय वहाँ एक अतिरिक्त चपरासी का पद दिया जाय।

10.15 अभिलेखागार ।फौजदारी।

1-अभिलेखपाल	एक	
2-उप अभिलेखपाल	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ न्यायालयों की संख्या 20 या अधिक हो, परन्तु 20 न्यायालयों की प्रत्येक वृद्धि पर एक उप अभिलेखपाल का पद अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
3-सहायक अभिलेखपाल	एक	प्रत्येक 8 मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या पर एक अतिरिक्त पद सहायक अभिलेखपाल का दिया जाय।
4-बण्डल लिफ्टर एवं दफ्तरी	एक	जहाँ मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो वहाँ बण्डल लिफ्टर एवं दफ्तरी का एक पद दिया जाय।
5-चपरासी	एक	जहाँ मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो वहाँ एक चपरासी का पद दिया जाय और जहाँ मजिस्ट्रेट न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक हो जाय वहाँ एक अतिरिक्त चपरासी का पद दिया

टिप्पणी :- टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और मैदानी क्षेत्रों में जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 से कम है, में अभिलेखागार।दीवानी। तथा अभिलेखागार ।फौजदारी। को एकीकृत अभिलेखागार बनाया जाय जिसमें एक अभिलेखपाल; एक सहायक अभिलेखपाल ।दीवानी। तथा एक सहायक अभिलेखपाल ।फौजदारी। और एक कार्यालय चपरासी के पद दिए जाँय।

10.16 प्रतिलिपि अनुभाग ।दीवानी।

1-मुख्य प्रतिलिपिक	एक	
2-उप मुख्य प्रतिलिपिक	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 20 या अधिक हो वहाँ एक उप मुख्य प्रतिलिपिक का पद दिया जाय परन्तु प्रत्येक 20 न्यायालयों की अतिरिक्त वृद्धि पर एक अतिरिक्त उप मुख्य प्रतिलिपिक का पद दिया जाय।
3-प्रतिलिपिक	एक	यह पद प्रत्येक न्यायालय से सम्बद्ध कार्यालय के लिए सृजित किया जाता है, परन्तु केन्द्रीय अनुभाग में पदधारक कार्य करता है।

Scanned by CamScanner

पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
4-कार्यालय चपरासी	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो, परन्तु न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक होने पर चपरासी का एक अतिरिक्त पद और दिया जाय।

10.17 प्रतिलिपि अनुभाग (फौजदारी)

1-मुख्य प्रतिलिपिक	एक	
2-उप मुख्य प्रतिलिपिक	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ न्यायालयों की संख्या 20 या अधिक हो, परन्तु 20 न्यायालयों की प्रत्येक वृद्धि पर एक उप मुख्य प्रतिलिपिक का पद अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
3-प्रतिलिपिक	एक	कार्य वृद्धि होने पर प्रत्येक 130 केस डायरियों के लिए एक प्रतिलिपिक का पद अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
4-कार्यालय चपरासी	एक	केवल उन स्थानों पर जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 या अधिक हो, परन्तु न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक होने पर चपरासी का एक अतिरिक्त पद और दिया जाय।

टिप्पणी:- जहाँ न्यायालयों की संख्या 10 से कम हो वहाँ दोनों प्रतिलिपिक अनुभागों को एकीकृत करके मुख्य प्रतिलिपिक के अधीन सभी प्रतिलिपिकों से कार्य कराया जाय।

10.18 अमीन अनुभाग

1-अमीन	एक	प्रत्येक 8 दीवानी न्यायालयों की वृद्धि पर अमीन
2-अमीन अर्दली	एक	व उसके अर्दली का एक-एक अतिरिक्त पद दिया जाय।

10.19 पुस्तकालय अनुभाग (प्रथम श्रेणी पुस्तकालय)

पदनाम	पद संख्या	अर्हता/वेतनमान	अभियुक्ति
1-पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	ह्यूटर+पुस्तकालय विज्ञान में सर्टीफिकेट+16 वर्ष का पुस्तकालय अनुभव अथवा विधि स्नातक+पुस्तकालय विज्ञान स्नातक+3 वर्ष का पुस्तकालय अनुभव 640-2900	जहाँ पुस्तकों की संख्या 20000 या अधिक हो
2-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	ह्यूटर+पुस्तकालय विज्ञान में सर्टीफिकेट 1200-2040	

Scanned by CamScanner

पदनाम	पद संख्या	अर्हता/वेतनमान	अभियुक्ति
3-लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट	दो	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 750-940	

।द्वितीय श्रेणी पुस्तकालय।

1-उप पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	इण्टर + पुस्तकालय विज्ञान में सर्टीफिकेट + 6 वर्ष का पुस्तकालय अनुभव 1400-2300	जहाँ पुस्तकों की संख्या 5000 या अधिक परन्तु 20000 से कम हो
2-लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट	एक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 750-940	

।तृतीय श्रेणी पुस्तकालय।

1-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	इण्टर + पुस्तकालय विज्ञान में सर्टीफिकेट+ 1200-2040	जहाँ पुस्तकों की संख्या 5000 से कम हो।
2-लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट	एक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 750-840	

टिप्पणी :- प्रदेश के सभी न्यायालयों के लिए विधि पुस्तकालय की स्थापना की जाय तथा इन पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक एकीकृत संवर्ग बनाया जाय जिसमें पदधारकों की अर्हताएं, नियुक्ति, स्थायीकरण, प्रोन्नति, स्थानान्तरण तथा अन्य सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित सेवा नियमावली संविधान के अनुच्छेद -309 के अन्तर्गत बनायी जाय। संदर्भ प्रस्तर संख्या 6.24 तथा 6.25 .

10.20 **प्रपत्र व लेखन सामग्री अनुभाग**

1-लिपिक	एक	जहाँ न्यायालयों की संख्या 20 या अधिक हो, अन्यथा यह कार्य पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ही कराया जाय।
2-चपरासी	एक	जहाँ 40 या अधिक न्यायालय हों वहाँ एक चपरासी का अतिरिक्त पद दिया जाय।

टिप्पणी:- प्रपत्र व लेखन सामग्री अनुभाग अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह कार्य पुस्तकालय अनुभाग में ही सम्पादित कराया जाय, इस कार्य हेतु लिपिक तथा चपरासी के पद उपर्युक्त अभियुक्ति के अनुसार दिये जायं।

Scanned by CamScanner

पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति

10.21 **पूछताछ एवं निरीक्षण अनुभाग**

1-लिपिक	एक	10 या अधिक, परन्तु 20 न्यायालयों से कम संख्या पर एक वरिष्ठ लिपिक का अतिरिक्त पद दिया जाय उसके बाद प्रत्येक 20 न्यायालयों की वृद्धि पर एक कनिष्ठ लिपिक का पद अतिरिक्त रूप से दिया जाय।
2-चपरासी	एक	न्यायालयों की संख्या 40 या अधिक होने पर एक अतिरिक्त चपरासी का पद भी दिया जाय।

टिप्पणी :- दफ्तरी का एक-एक पद दायरा न्यायालयों, अभिलेखागार तथा नजारत के लिए संस्तुत किया गया है, परन्तु न्यायालयों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक 8 न्यायालयों के लिए एक अतिरिक्त दफ्तरी भी दिया जाय।

(ग) अपर न्यायालय

10.22 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/अपर सिविल जज न्यायालय

पदनाम	पद संख्या	पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद एवं सत्र लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास दीवानी पत्रावलियाँ 500 अथवा विविध पत्रावलियाँ 1000 अथवा सत्र पत्रावलियाँ 200 हो जाँय तो उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		3-अपील एवं विविध लिपिक	एक	
		4-प्रतिलिपिक	एक	

10.23 अपर मुंसिफ न्यायालय/अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय/ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक।
2-आशुलिपिक	एक		
3-अर्दली	एक		
4-चपरासी	एक		

Scanned by CamScanner

पदनाम	पद संख्या	पदनाम	पद संख्या	अभ्युक्ति
		2-वाद लिपिक/ अहलमद (मूल अपराध)	एक	जब किसी लिपिक के पास दीवानी पत्रावलियां 500 अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 हो जायं तो उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय ।
		3-इजराय लिपिक/ विविध लिपिक/ अहलमद (लघु अपराध)	एक	
		4-प्रतिलिपिक	एक	

10.24 अपर लघुवाद न्यायालय / न्यायालय से सम्बद्ध कार्यालय

1-पेशकार	एक	1-मुन्सरिम	एक	जब किसी लिपिक के पास दीवानी पत्रावलियां 500 अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 हो जायं तो उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय ।
2-आशुलिपिक	एक	2-वाद लिपिक	एक	
3-अर्दली	एक	3-इजराय एवं प्रकीर्ण तथा दीवानिया लिपिक	एक	
4-चपरासी	एक	4-अपील एवं सत्र लिपिक	एक	
		5-प्रतिलिपिक	एक	

10.25 (घ) बाह्य स्थित न्यायालयों के लिए एकीकृत अनुभाग

1-वरिष्ठ प्रशासनिक लिपिक	एक	जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हो ।
2-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	
3-प्रशासनिक लिपिक	एक	
4-कैशियर-कम-लेखा लिपिक	एक	जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हो ।
5-टंकक	एक	
6-कार्यालय चपरासी	एक	
7-उप नाजिर	एक	
8-अमीन	एक	
9-अमीन-अर्दली	एक	
10-चपरासी नजारत	दो	कार्यभार में वृद्धि होने पर अतिरिक्त प्रोसेस सरवर का पद दिया जाय ।
11-प्रोसेस सरवर	एक	
12-दफ्तरी	एक	
13-माली-कम-वाटरमैन	दो	
14-चौकीदार	एक	अथवा चार अंशकालिक स्वीपर निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर, जिसका कार्यालय मद से भुगतान किया जाय ।
15-स्वीपर (नियमित पूर्णकालिक)		

Scanned by CamScanner

10.25 नव-सृजित जनपदों में जिला न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों के लिए पूर्व प्रस्तरों के अनुसार तथा उनके केन्द्रीय अनुभागों के लिए प्रस्तर 6.48 में संस्तुत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद प्रारम्भ में निम्न प्रकार दिए जाँय :-

पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
1- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	एक	जहां समूह "ग" के पदों की संख्या 50 या अधिक हो ।
2- प्रशासनिक लिपिक	एक	
3- विविध लिपिक	एक	
4- टंकक	एक	
5- सेन्ट्रल नाजिर	एक	
6- सहायक नाजिर	दो	
7- अभिलेखपाल ।दीवानी।	एक	
8- अभिलेखपाल ।फौजदारी।	एक	
9- सहायक अभिलेखपाल।दीवानी।	एक	
10- सहायक अभिलेखपाल।फौजदारी ।	एक	
11- मुख्य प्रतिलिपिक ।दीवानी।	एक	
12- मुख्य प्रतिलिपिक।फौजदारी।	एक	
13- प्रतिलिपिक ।केस डायरीज।	चार	
14- प्रतिलिपिक ।दीवानी।	पांच	प्रत्येक न्यायालय के साथ एक-एक पद यदि न्यायालय पांच से अधिक हों ।
15- सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक	
16- प्रपत्र व लेखन सामग्री लिपिक	एक	
17- बिल क्लर्क	एक	
18- कैशियर	एक	
19- सहायक लेखाकार	एक	
20- अमीन	दो	

Scanned by CamScanner

पदनाम	पद संख्या	अभ्युक्ति
21- ड्राइवर	एक	एक शासकीय वाहन के लिए एक पद
22- दफ्तरी	एक	
23- बण्डल लिफ्टर	दो	
24- अमीन अर्दली	दो	
25- चपरासी ।नजारत।	एक	
26- चपरासी ।प्रशासकीय अनुभाग।	एक	
27- चपरासी ।प्रतिलिपि अनुभाग।	दो	
28- प्रोसेस सरवर/संदेशवाहक	दस	कार्यभार में वृद्धि होने पर मानक के अनुसार अतिरिक्त पद दिये जाय ।
29- चौकीदार	दो	
30- माली-कम-वाटरमैन	एक	
31- स्वीपर-कम-फराश	चार	अंशकालिक स्वीपर निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर, जिसका कार्यालय मद से भुगतान किया जाय ।

- - - - - - -

।राम निवास।
सदस्य
विशेष समिति एवं
संयुक्त सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

।श्याम कृष्ण।
सदस्य
विशेष समिति एवं
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

।के०एल० शर्मा।
अध्यक्ष
विशेष समिति, एवं
न्याय सचिव एवं विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन

।नारायण दास।
संयोजक
विशेष समिति एवं
अनुभाग अधिकारी
न्याय विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-1
। संदर्भ प्रस्तर 1.2 ।

उत्तर प्रदेश सरकार
न्याय । अधीनस्थ न्यायालय । अनुभाग
संख्या- 5897 /सात-अ0-न्या0-711/85/
लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 1987.

कार्यालय ज्ञाप

समय समय पर प्रदेश के अधीनस्थ दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और नये न्यायालयों के सृजन तथा जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालयों पर स्थानान्तरित किये जाने वाले न्यायालयों के लिये अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव होते हैं । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्यभार के अनुसार एक मानक निर्धारित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि उसी मानक के अनुसार नये तथा अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सके और सभी अधीनस्थ न्यायालयों तथा उनसे सम्बद्ध ~~कार्यालय~~ कार्यालयों में स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सके और स्टाफ की एकरूपता बनाए रखी जा सके ।

2- अत: उक्त उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों की विशेष समिति गठित करते हैं :-

1-श्री के0एल0शर्मा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी न्याय विभाग ।	अध्यक्ष/ [illegible]
2-श्री श्याम कृष्ण, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3-श्री राम निवास, उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ।	सदस्य

3- श्री नारायणदास, अनुभाग अधिकारी, न्याय विभाग अपने कार्य के अतिरिक्त उक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे ।

4- यह समिति प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी तथा अन्य जिलों में कार्यरत अधीनस्थ न्यायालय एवं उनसे सम्बद्ध कार्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार का अध्ययन करेगी और विभिन्न श्रेणियों के [illegible] के लिये [illegible] मानक की संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

..2/-

5- उक्त समिति का मुख्यालय लखनऊ होगा और अध्ययन एवं विचार विमर्श के लिये समय समय पर आवश्यकतानुसार जिलों में भी जाकर समिति बैठकें कर सकेगी ।

6- समिति के सदस्य अपना यात्रा भत्ता आदि अपने अपने प्रशासनिक बजट से सामान्य यात्रा भत्ता नियमानुसार आहरित करेंगे । इस कार्य के लिये किसी सदस्य अथवा संयोजक को कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ते देय न होंगे ।

7- 31 दिसम्बर, 1987 तक उक्त समिति अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी ।

(श्रीनाथ सहाय)
सचिव, न्याय विभाग

संख्या- 5897 /1(1)/सात-अ0-न्या0-4-711/85 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि यदि माननीय उच्च न्यायालय को आपत्ति न हो तो वह कृपया समस्त जिला जजों को आवश्यक सहयोग समिति को देने के लिये निर्देशित कर दें ।

2- अपर निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।

3- समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विशेष समिति के अध्ययनार्थ अपेक्षित सहयोग प्रदान करें ।

4- सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

5- सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ [illegible] ।

6- संबंधित अधिकारी गण ।

7- अध्यक्ष, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ0प्र0, 61, सराय वाला, अलीगढ़ ।

आज्ञा से,
केo एलo शर्मा

परिशिष्ट-2
। संदर्भ प्रस्तर 2.2 ।

सर्वोच्च प्राथमिकता

ए०एन०गुप्त,
संयुक्त सचिव

अर्द्धशासकीय पत्र सं०-3759/सात-अ०-न्या०-711/85.
न्याय । अधीनस्थ न्यायालय । अनुभाग
सचिवालय-2
लखनऊ: दिनांक: [illegible] जून, 1988.

प्रिय श्री

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के अधीनस्थ, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के मानक निर्धारण के लिये न्याय । अधीनस्थ न्यायालय । अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5897/सात-अ०-न्या०-711/85 दिनांक 26 सितम्बर, 1987 द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 1988 तक बढ़ाये जाने का निर्णय भी लिया जा चुका है । समिति की दिनांक 30 मई, 1988 को हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में प्रत्येक जनपद के अधीनस्थ दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के कार्यभार का अध्ययन किया जाय । आपसे अनुरोध है कि कृपया समिति के अध्ययनार्थ संलग्न निर्धारित प्रारूप ।परिशिष्ट 1,2 व 3 में सूचना तैयार करा कर उसे प्राथमिकता के आधार पर श्री नारायण दास, अनुभाग अधिकारी एवं संयोजक, विशेष समिति, न्याय । अधीनस्थ न्यायालय । अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को विलम्बतम तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,
[illegible]
। ए०एन०गुप्त।

श्री
जिला जज,

न्यायालय		सम्बद्ध कार्यालय		
पदनाम	पद संख्या	पदनाम	पद संख्या	अभियुक्ति
		6-प्रतिलिपिक	एक	
		7-दफ्तरी	एक	

10.6 न्यायिक मजिस्ट्रेट/रेलवे मजिस्ट्रेट/मुंसिफ मजिस्ट्रेट/ जुविनायल मजिस्ट्रेट

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-अहलमद (मल अपराध)	एक	जब अहलमद के पास फौदारी 1000 हो जाय अथवा दीवानी पत्रावलियां 500 हो जाय तो उसके सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		3-अहलमद (लघु अपराध)	एक	
		4-प्रतिलिपिक	एक	

10.7 वाह्य स्थित न्यायालय (तहसील अथवा अन्यत्र स्थान पर) अपर जिला एवं सत्र न्यायालय

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास दीवानी पत्रावलियां 500 अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रावलियां 1000 अथवा सत्र पत्रावलियां 200 हो जाँय तो उस लिपिक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त लिपिक का पद दिया जाय।
		3-सत्र लिपिक	एक	
		4-अपील एवं विविध लिपिक	एक	
		5-प्रतिलिपिक	एक	
		6-दफ्तरी	एक	

10.8 वाह्य स्थित सिविल जज न्यायालय

1-पेशकार	एक	1-मुंसरिम	एक	
2-आशुलिपिक	एक			
3-अर्दली	एक			
4-चपरासी	एक			
		2-वाद लिपिक	एक	जब किसी लिपिक के पास दीवानी पत्रावलियां 500 अथवा फौजदारी पत्रावलियां 1000 अथवा विविध पत्रा-
		3-अपील-कम-विविध लिपिक	एक	
		4-इजराय लिपिक	एक	

Scanned by CamScanner